

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 06/2018

| क्रमांक | वादों की स्थिति | मा० सर्वोच्च न्यायालय | मा० उच्च न्यायालय | मा० लोक सेवा अधिकरण | मा० श्रम न्यायालय | अन्य | योग | अवमाननावाद |
|---------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कुल लंबित वाद | 39 | 4360 | 639 | 485 | 1727 | 7250 | 429 |
| 2 | प्रतिशपथपत्र दाखिल | 35 | 4161 | 623 | 481 | 1691 | 6991 | 418 |
| 3 | कुल अवशेष वाद | 4 | 199 | 16 | 4 | 36 | 259 | 11 |
| 4 | आवश्यकता नहीं | 2 | 76 | 3 | 1 | 11 | 93 | 0 |
| 5 | अवशेष वाद | 2 | 123 | 13 | 3 | 25 | 166 | 11 |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यानसिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 06/2018

| क्र० सं० | संगठन का नाम | मा०सर्वोच्च न्यायालय | | | | मा०उच्च न्यायालय | | | | मा० लोक सेवा अधिकारण | | | | मा० श्रम न्यायालय | | | | अन्य | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------|-----|------|------------------|-------|-----|-------|----------------------|-------|-----|-------|-------------------|-------|-----|-------|---------|-------|-----|-------|
| | | कुल वाद | दाखिल | शेष | आ०न० | कुल वाद | दाखिल | शेष | आ० न० | कुल वाद | दाखिल | शेष | आ० न० | कुल वाद | दाखिल | शेष | आ० न० | कुल वाद | दाखिल | शेष | आ० न० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ | - | - | - | - | 19 | 18 | 1 | - | 39 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ | - | - | - | - | 18 | 17 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | मु०अ०, अनु०एवं नियो०(बाढ़) लखनऊ | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 5 | मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर | 3 | 3 | - | - | 274 | 262 | 12 | - | 48 | 47 | 1 | - | 107 | 106 | 1 | - | 137 | 127 | 10 | - |
| 7 | मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ | 5 | 4 | - | 1 | 886 | 818 | 19 | 49 | 99 | 96 | 2 | 1 | 28 | 27 | 1 | - | 349 | 347 | - | 2 |
| 8 | मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़ | 1 | 0 | - | 1 | 161 | 161 | - | - | 18 | 15 | 3 | - | 33 | 33 | - | - | 52 | 44 | 1 | 7 |
| 9 | मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद | - | - | - | - | 167 | 158 | 1 | 8 | 33 | 32 | 1 | - | 12 | 11 | - | 1 | 110 | 109 | - | 1 |
| 10 | मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद | 2 | 2 | - | - | 102 | 93 | 2 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 44 | 43 | 1 | - |
| 11 | मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी | 1 | 1 | - | - | 115 | 115 | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 | 28 | - | - | 43 | 42 | 1 | - |
| 12 | मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | मु०अ०, रामगंगा, कानपुर | 1 | 1 | - | - | 158 | 155 | 3 | - | 44 | 43 | 1 | - | 38 | 38 | - | - | 157 | 152 | 4 | 1 |
| 14 | मु०अ०, शारदा, बरेली | - | - | - | - | 182 | 167 | 12 | 3 | 38 | 37 | - | 1 | 32 | 32 | - | - | 18 | 17 | 1 | - |
| 15 | मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद | 1 | 1 | - | - | 45 | 42 | 3 | - | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | 18 | 16 | 2 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|------|------|-----|----|-----|-----|----|---|-----|-----|---|---|------|------|----|----|
| 16 | मु0अ0, सोन, वाराणसी | 4 | 4 | - | - | 326 | 312 | 14 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | 14 | 1 | - | 346 | 346 | - | - |
| 17 | मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा | 2 | 2 | - | - | 68 | 67 | 1 | - | 21 | 20 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 55 | 53 | 2 | - |
| 18 | मु0अ0, बेतवा, झाँसी | 1 | 1 | - | - | 130 | 130 | - | - | 24 | 24 | - | - | 31 | 31 | - | - | 39 | 38 | 1 | - |
| 19 | मु0अ0, गंगा, मेरठ | 4 | 4 | - | - | 213 | 204 | 9 | - | 19 | 19 | - | - | 15 | 15 | - | - | 193 | 193 | - | - |
| 20 | मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 21 | मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली | - | - | - | - | 12 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ | 2 | 2 | - | - | 343 | 332 | 11 | - | 45 | 45 | - | - | 31 | 31 | - | - | 29 | 27 | 2 | - |
| 26 | मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ | 4 | 4 | - | - | 252 | 243 | 9 | - | 35 | 35 | - | - | 28 | 28 | - | - | 29 | 29 | - | - |
| 27 | मु0अ0, नलकूप, वाराणसी | 5 | 4 | 1 | - | 408 | 395 | 13 | - | 31 | 31 | - | - | 30 | 30 | - | - | 55 | 55 | - | - |
| 28 | मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद | 3 | 2 | 1 | - | 324 | 319 | 5 | - | 35 | 34 | 1 | - | 9 | 9 | - | - | 36 | 36 | - | - |
| 29 | मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ | - | - | - | - | 79 | 78 | 1 | - | 9 | 9 | - | - | 27 | 27 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 30 | मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़ | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | योग | 39 | 35 | 2 | 2 | 4360 | 4161 | 123 | 76 | 639 | 623 | 13 | 3 | 485 | 481 | 3 | 1 | 1727 | 1691 | 25 | 11 |

कुल लम्बित वाद-7250

प्रतिशपथपत्र दाखिल-6991

अवशेष-166

आवश्यकता नहीं-93

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | मु0अ0, सोन, वाराणसी | - | - | - | - | 17 | 17 | 0 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 17 | मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | मु0अ0, बेतवा, झोंसी | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 19 | मु0अ0, गंगा, मेरठ | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | मु0अ0, नलकूप, वाराणसी | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 28 | मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद | - | - | - | - | 28 | 27 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ | - | - | - | - | 11 | 10 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 330 | 5 | 0 | 87 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |

कुल लम्बित वाद-429

प्रतिशपथपत्र दाखिल-418

अवशेष-11

आवश्यकता नहीं-0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 06/2018

| क्रमांक | संगठन का नाम | मा0 सर्वोच्च न्यायालय | मा0 उच्च न्यायालय | मा0 लोक सेवा अधिकरण | अन्य न्यायालय | योग |
|---------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | मुख्य अभियन्ता(सरयू प्रथम), फैजाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | मुख्य अभियन्ता(सोन), वाराणसी | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | मुख्य अभियन्ता(सज्जा एवं सामग्री), लखनऊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | मुख्य अभियन्ता(शारदा),बरेली लखनऊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | मुख्य अभियन्ता(नलकूप पूर्व), फैजाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | योग | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 06/2018

| क्र० सं० | संगठन का नाम | कुल लम्बित वाद | वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर दिया गया है | वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है। | वादों की संख्या जिनका अनुपालन नहीं किया गया है। | वादों जिनमें अनुपालन शेष है | | | | | वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है | वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है। |
|----------|---------------------------------|----------------|--|--|---|--|---------------------------|---|---|--------------|---|--|
| | | | | | | जिनमें रिज्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है | जिनमें एस०एल० पी० दायर है | वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है | वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है। | | | |
| | | | | | | | | | विभाग स्तर पर | शासन स्तर पर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ | 56 | 56 | 54 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 | मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | मु०अ०, अनु०एवं नियो०(बाढ़) लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़ | 22 | 22 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद | 24 | 24 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 10 | मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ | 15 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | मु०अ०, रामगंगा, कानपुर | 45 | 25 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | मु०अ०, शारदा, बरेली | 140 | 50 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | मु०अ०, सोन, वाराणसी | 75 | 75 | 73 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 17 | मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा | 18 | 18 | 11 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 18 | मु0अ0, बेतवा, झाँसी | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | मु0अ0, गंगा, मेरठ | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 22 | नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ | 194 | 194 | 111 | 83 | 61 | - | 1 | 6 | 15 | - | - |
| 26 | मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ | 38 | 38 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | मु0अ0, नलकूप, वाराणसी | 238 | 238 | 227 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद | 75 | 75 | 31 | 44 | 42 | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ | 57 | 57 | 43 | 14 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग | 1360 | 1249 | 1026 | 223 | 111 | 16 | 2 | 9 | 21 | 1 | 0 |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

| क्र0 सं0 | संगठन का नाम | माह जनवरी 2012 से माह जून 2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या | | | माह जनवरी 2012 से माह जून 2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या | | | माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं। | | | अभ्युक्ति |
|-----------------------|---|---|------|-----|---|------|-----|--|------|-----|--|
| | | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| मुख्य अभियन्ता स्तर-2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | अग्रिम नियोजन, लखनऊ | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2 | परिकल्प, लखनऊ | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एस00इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण |
| 3 | अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | गण्डक, गोरखपुर | 80 | 30 | 110 | 70 | 28 | 98 | 9 | 3 | 12 | - |
| 6 | गंगा, मेरठ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | - |
| 7 | मध्य गंगा अलीगढ़ | 163 | 25 | 188 | 163 | 25 | 188 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | सरयू-प्रथम, फैजाबाद | 3 | 163 | 166 | 3 | 139 | 142 | 0 | 3 | 3 | 1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-18 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 3-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। कुल 02+18+1=21 लखनऊ |
| 9 | सरयू-द्वितीय, गोण्डा | 16 | 28 | 44 | 15 | 28 | 43 | 1 | 0 | 1 | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | है। |
| 10 | पूर्वी गंगा मुरादाबाद | 78 | 11 | 89 | 68 | 11 | 79 | 2 | 0 | 2 | 1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 08 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2-इलाहाबाद में 04 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। |
| 11 | परियोजना बेतवा, झांसी | 72 | 11 | 83 | 72 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | बेतवा, झांसी | 40 | 8 | 48 | 40 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | रामगंगा कानपुर। | 151 | 20 | 171 | 144 | 20 | 164 | 4 | 0 | 4 | 3- कुल 03 वादों में विभाग की ओर से याचिका दाखिल अतः शपथ पत्र दाखिल नहीं होना है। कुल 03 वादों में आवश्यकता नहीं है इलाहाबाद में। |
| 14 | बाणसागर, इलाहाबाद | 20 | 3 | 23 | 17 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | - |
| 15 | सोन वाराणसी | 159 | 8 | 167 | 147 | 6 | 153 | 12 | 2 | 14 | - |
| 16 | अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | शारदा बरेली | 35 | 116 | 151 | 35 | 101 | 136 | 0 | 12 | 12 | 1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि "याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा मुखरित आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः इस वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एम0एस0/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 3- वाद संख्या-7101/एम0एस0/2013 बिन्दुसागर वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|-----|----|-----|-----|---|----|----|--|
| 18 | शारदा सहायक, लखनऊ | 56 | 188 | 244 | 43 | 133 | 176 | 7 | 12 | 19 | मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 06 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 43 वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में 43 एवं इलाहाबाद में 06=49) |
| 19 | आई0एस0ओ0, लखनऊ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | माह 01/2012 से माह 10/2017 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/ एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में। |
| 20 | राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | जल संसाधन लखनऊ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट पिटीशन संख्या- 21941/2017 स्टैलिन श्रीमती विजय लक्ष्मी श्रीमती अनार कली व अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार नरैटिव तैयार कर शासकीय अनुमति प्राप्त करते हुये दिनांक 13.10.2017 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त वाद में अगली सुनवाई की तिथि 17.01.2018 है। मण्डल स्तर के अन्य समस्त लम्बित वादों / अवमाननावादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल है। |
| 23 | कनहर, मिर्जापुर | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
| 24 | यमुना ओखला, नई दिल्ली | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7) |
| 25 | नलकूप मध्य, लखनऊ | 54 | 133 | 187 | 52 | 131 | 183 | 2 | 2 | 4 | — |
| 26 | नलकूप पश्चिम, मेरठ | 114 | 72 | 186 | 112 | 65 | 177 | 2 | 7 | 9 | — |
| 27 | नलकूप, वाराणसी | 135 | 24 | 159 | 125 | 20 | 145 | 10 | 4 | 14 | — |
| 28 | नलकूप, पूर्व फैजाबाद | 28 | 141 | 169 | 27 | 136 | 163 | 1 | 5 | 6 | — |
| 29 | सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ | 23 | 14 | 37 | 22 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 | अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यशाला मण्डल, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉलम 06 रिट याचिका संख्या-19319/एस0बी0/ 2017 मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय बैंच, लखनऊ में योजित की गयी है। अतः प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ बैंच में |
| 30 | मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | योग | 1259 | 1033 | 2292 | 1168 | 909 | 2077 | 68 | 54 | 122 | 22 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 71 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+71=93 |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

| क्र0 स0 | माह जनवरी 2012 से माह जून-2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या | | | माह जनवरी 2012 से माह जून-2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या | | | माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं। | | | अभ्युक्ति |
|----------|---|-------------|-------------|---|------------|-------------|---|-----------|------------|---|
| | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | इलाहाबाद | लखनऊ | योग | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1259 | 1033 | 2292 | 1168 | 909 | 2077 | 68 | 54 | 122 | 22 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 71 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+71=93 |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशारी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 06/2018 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

| क्र० सं० | मण्डल/खण्ड का नाम | अवमाननावाद संख्या व वर्ष | वादी का नाम व पदनाम | प्रतिवादी का नाम व पद | मूलवाद संख्या व वर्ष | पारित आदेशों को विवरण | प्रतिशपथ- पत्र दाखिल किये जाने की तिथि | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति | अभियुक्ति |
|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ। | | | | | | | | | |
| मुख्य अभियन्ता(परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी | | | | | | | | | |
| 1 | मौ०बा०नि० ख०-1 महोबा | 4183/2016 | मुहम्मद याकूब | श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता | 46682/2015 | रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया। | - | प्रकरण पर प्रतिशपथ-पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी०डी०वर्मा द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है। | - |
| मुख्य अभियन्ता(सरयू-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद। | | | | | | | | | |
| 2 | सरयू नहर खण्ड-6 बहराईच। | अवमाननावाद 2244/2017 | श्री पद्मनाथ | उ०प्र०सरकार व अन्य। | 43/एल०ए०/2015 | - | - | अवमाननावाद के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 07.02.2018 को एस०एल०पी० दाखिल की जा चुकी है दिनांक 09.03.2018 अवमाननावाद पर सुनवाई हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया है पिछली सुनवाई की तिथि 29.05.2018 थी। | मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन |
| मुख्य अभियन्ता(सज्जा एवं सामग्री) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | | | | | | | | | |
| 3 | सिंचाई कार्य शाला मण्डल-प्रथमकानपुर सिंचाई कार्य शाला खण्ड, बरेली | अवमाननावाद 586/2018 | श्री राजेन्द्र मोहन मेहरा, सेवानिवृत्त सहायक भण्डार अधीक्षक | श्री टी०वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई / श्री भूपेन्द्र शर्मा, प्रमुख अभियन्ता / सुरेश पाल कार्य प्रबन्ध सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की | 273/एस०एस०/2002 | प्रमुख अभियन्ता (सॉत्रिक) के रिकवरी आदेश दिनांक 19.09.2001 को मा० न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.09.2017 द्वारा निरस्त किया गया। | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। | मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में सुनवाई की तिथि 31.07.2018 निर्धारित है। |
| मुख्य अभियन्ता(शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली। | | | | | | | | | |
| 4 | लखनऊ खण्ड-2 शारदा नहर, लखनऊ | 1548/सी/2016 | शेर सिंह कम्बोज | श्री सी०के० वर्मा, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई | 4173/एस०बी०/2016 | प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाये | - | - | अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। |
| मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद। | | | | | | | | | |
| 5 | नलकूप खण्ड नानपारा | 1456/सी/2018 | श्री सैय्यद अली नलकूप चालक | श्री हरिओम वर्मा, अधिशासी अभियन्ता | 1289/एस०एस०/2017 | सैय्यद अली को विभाग में कार्यभार ग्रहण की तिथि से पेंशन आंकलन करके भुगतान के सम्बन्ध में। | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। | - | वाद विचाराधीन है, वादी द्वारा अंशकालीन नलकूप चालक की सेवाओं को जोड़कर पेंशन की मांग की जा रही |

मा0राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता(परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी।

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------------|--|------------|---|---|---|-----------------|--|
| 1 | सिंचाई निर्माण खण्ड-2 ललितपुर | 304/2017 | मो0 जफरउल्लाह | श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य। | 1075/ 2007 | मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 19.03.2010 को शासकीय क्षति की वसूली दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा शास्ति तथा दण्ड के विरुद्ध आदेश पारित किये गये थे। | - | मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ के निर्णय दिनांक 19.03.2010 का परिपालन किये जाने हेतु पुनः अधिकरण में अवमाननावाद दायर किया गया जिसमें आंशिक अनुपालन आख्या प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रतिवादी संख्या-2 की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर नोशनल प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण शासन स्तर पर शेष है। कार्यवाही उपरान्त प्रतिशपथ-पत्र शासन की तरफ से दाखिल कर दिया जायेगा। मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल की तिथि 17.07.2018 नियत है। | सिंचाई अनुभाग-1 | |
| मुख्य अभियन्ता(रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। | | | | | | | | | | |
| 2 | बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर | 184/2017 | श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव | उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। | 427/ 2011 | मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2016 में वादी को रूपया-137013. 00 , 08 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश पारित किया गये है। | - | ग्रेच्युटी के भुगतान का गणना चक्र (ब्याज सहित) अधि0 अभि0(ई-1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, को अधि0अभि0 बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर के पत्र संख्या-2690/बै0नि0ख0-2/कोर्ट केस दिनांक 12.12.2017 को प्रेषित किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा वाद की अग्रिम सुनवाई की तिथि-09.07.2018 निर्धारित है। | - | |
| मुख्य अभियन्ता(सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। | | | | | | | | | | |
| 3 | चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली | 68/2016 | चन्द्रशेखर कुमार मंगलम | दीपक सिंघल प्रमख सचिव व अन्य | 176/ 2014 | दण्डादेश के सम्बन्ध में। | - | उक्त अवमानना याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा Compliance हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी थी श्री चन्द्रशेखर कुमार मंगलम बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं इनके मण्डल का नाम बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2 मिर्जापुर है। वर्तमान में श्री मंगलम द्वारा अवशेष एरियर का बीजक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय को कास रिफ्रेन्सिंग हेतु प्रेषित किया गया था जिसे कास रिफ्रेन्सिंग करने के पश्चात श्री सी0के0मंगलम अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण खण्ड/10 मिर्जापुर को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या-505/लेखा अनुभाग/दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री चन्द्र शेखर कुमार मंगलम अधिशासी अभियन्ता के संशोधित वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवमानना याचिका में Compliance उच्चाधिकारियों द्वारा ही किया जाना है। | - | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|---|-----------|---|---|--|---|
| 4 | चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली | 32/2017 | शिव दास, जूनियर इंजीनियर | प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य | 2052/2014 | दण्डादेश के सम्बन्ध में। | — | मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है। तथा मा0 अधिकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा0 पत्र संख्या- 32/2017 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ-पत्र मा0 अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका संख्या-15399/2016 में रिज्वाइन्डर दिनांक 19.02.2018 दाखिल करा दिया गया है। विभागा द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-15399/2016 सरकार बनाम शिव दास एवं अन्य को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को डिसमिस कर दिया गया है। शासन के पत्र संख्या-1234/18-27-सि0-6-1निया/2015 दिनांक 17.04.2018 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गयी है। | — |
| 5 | चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली | 59/2018 | राम सेवक वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता | श्री टी0वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य | 572/2012 | वैयक्तिक वेतनमान के सम्बन्ध में | — | निर्देश याचिका संख्या-572/2012 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 की प्रति उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 का अनुपालन न हो पाने पर याची द्वारा अवमाननावाद संख्या-59/2018 दाखिल किया गया है। जिसका अनुपालन शासन द्वारा किया जाना है। | — |
| मुख्य अभियन्ता(नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। | | | | | | | | | |
| 6 | नलकूप खण्ड, मिर्जापुर। | 534/2015 | सच्चिदानन्द त्रिपाठी | श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य | 1070/2006 | वादी सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता द्वारा सेवानिवृत्त देयकों के विलम्ब से भुगतान के संबंध में। | शासन से भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी। | प्रमुख अभियन्ता / ई-11 अनु0 के पत्रांक-3143/ई-11 दिनांक 26.09.2017 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रकरण शासन में भेजा गया था। शासन के निर्देशानुसार मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9191/2017 दाखिल की गयी थी जिसमें विभाग के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 24.01.2018 को पुनर्विचार याचिका मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल है। विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका में शीघ्र सुनवाई करा कर मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2018 को स्थगित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता नहर खण्ड मिर्जापुर द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है। | — |

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)